



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक/सं.अ.सं./२५७

दिनांक १०/०८/२०२०

सूचना

(नवीनीकरण शुल्क ऑनलाईन जमा करने बाबत)

समस्त सम्बद्ध अध्ययन संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि नवीनीकरण शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2020 तक बढ़ाई गई थी। सम्बद्ध अध्ययन संस्थाओं में प्रवेश लेने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा सूचना पूर्व में जारी की गई है। रेग्युलेशन-18, 2008 के अनुसार नवीनीकरण शुल्क जमा करना अनिवार्य है।

अतः ऐसी समस्त सम्बद्ध अध्ययन संस्थाएँ जिन्होंने नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं किया है, इन संस्थाओं को नवीनीकरण शुल्क जमा करने के लिए पुनः अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 31 अगस्त 2020 तक एम.पी.ऑनलाईन का पोर्टल खोला जा रहा है।

सम्बद्ध अध्ययन संस्थाओं को यह भी सूचित किया जाता है कि एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से नवीनीकरण शुल्क जमा करने के पश्चात ही छात्रों के ऑनलाईन नामांकन फार्म भरे जा सकेंगे।

MK Maheshwari
20. Aug. 2020

(प्रो. डॉ. मनीष माहेश्वरी)
निदेशक

पृ./क्रमांक/सं.अ.सं./२५८

दिनांक १०/०८/२०२०

प्रतिलिपि—

1. प्रबंधक, एम.पी. ऑनलाईन लि. को इस निर्देश के साथ कि कृपया 31 अगस्त 2020 तक नवीनीकरण शुल्क ऑनलाईन प्राप्त करने हेतु पोर्टल खुला रखने का प्रबंध करें।
2. वेब मास्टर, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
3. निज सचिव, कुलपति/कुलसचिव की ओर सूचनार्थ।

MK Maheshwari
20. Aug. 2020

(प्रो. डॉ. मनीष माहेश्वरी)
निदेशक